

झारखंड सरकार
जल संसाधन विभाग।

शुद्धि पत्र सं.-8/ज.सं.(नि.)ल.सिं.राँची-15/2009:-...../राँची, दिनांक:-.....

...

शुद्धि पत्र

श्री नरेश कुमार, तत्कालीन कनीय अभियंता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, बोकारो के विरुद्ध अनियमितता, कदाचार एवं अनियमितता के मामले में विभागीय संकल्प सं. 4407 दिनांक 05.08.13 के द्वारा नियम- 55 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित है।

चूँकि श्री कुमार सेवानिवृत्त हैं और उक्त संकल्प में भूलवश " सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली के नियम- 55 के अंतर्गत" विभागीय कार्यवाही अंकित हो गयी है इसलिए इसे संशोधित रूप में " पेंशन नियमावली के नियम 43 बी. के अन्तर्गत" पढ़ा जाय।

संकल्प की शेष कंडिकाएँ यथावत् रहेंगी।

इस पर विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/-

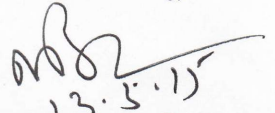
(बिन्दु माधव प्रसाद सिंह)

सरकार के उप सचिव(नि.)।

ज्ञापांक:- 2335

/राँची, दिनांक:- 13-5-15

प्रतिलिपि:-कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, बोकारो/ श्री नरेश कुमार, तत्कालीन कनीय अभियंता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, बोकारो, पता- सुंदर बिहार, तिरील भट्ठी रोड, कोकर, राँची / वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखंड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



(बिन्दु माधव प्रसाद सिंह)

सरकार के उप सचिव(नि.)।

13.5.15